दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1470/2022
शासन विरुद्ध कौशिल्या बाई व अन्य
प्रकरण संस्थित दिनांक 10.02.2023

न्यायालयः— महेश बाबू साहू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , पेण्ड्रारोड राजस्व जिला—गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही (छ०ग०)

(निर्णय दिनांक 11.07.2025) (दाण्डिक प्रकरण क्रं. 1470/2022) (सेंट्रल फाईलिंग नं. 1693/2022) (सी.एन.आर. नं.CGBI120018552022) (FIR NO.—385/2022 थाना पेण्ड्रा)	
अभियोजन	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पेण्ड्रा, जिला—गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही(छ०ग०)
अभियोजन द्वारा	श्री संजीव राय (ए०डी०पी०ओ०)।
आरोपीगण	1. कौशिल्या बाई पति महेश सिंह गोंड उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम मडई चौकी कोटमीकला थाना पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही छ०ग० 2. मीनाबाई पति सरोधन सिंह गोंड उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम सकोला चौकी कोटमी कला थाना पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही छ०ग० 3. चंदाबाई पति रमेश सिह गोड उम्र 40 वर्ष सा० ग्राम मडई चौकी कोटमी कला थाना पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ०ग०)।
आरोपीगण द्वारा	श्री अरुण गुप्ता अधिवक्ता ।

फार्म—ई

घटना दिनांक	11.10.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	13.10.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	10.02.2023

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1470/2022
शासन विरुद्ध कौशिल्या बाई व अन्य
प्रकरण संस्थित दिनांक 10.02.2023

आरोप विरचित दिनांक	14.07.2023
साक्ष्य अवधि दिनांक	01.09.2023 से 25.06.2025
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने की तिथी	11.07.2025
निर्णय दिनांक	11.07.2025
दण्डादेश दिनांक यदि हो तो	11.07.2019

अभियुक्त का विवरण

क्र	आरोपी का नाम	गिरफतारी दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथी	आरोप	दोषमुक्ति अथवा दोष सिद्धी	दण्डादेश	धारा 428 दं०प्र०सं० के प्रयोजन हेतु अभिरक्षा अवधि
1	कौशिल्या बाई	15.10.2022	15.10.2022	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 भाग–दो एवं 427	अपराध धारा 294, 506 भाग–दो भा०दं०सं० के आरोप में दोषमक्त एवं धारा 427 भा०दं०सं० के आरोप में दोषसिद्ध	निर्णय की कंडिका–21 के अनुसार	–
2	मीनाबाई	15.10.2022	15.10.2022				
3	चंदाबाई	15.10.2022	15.10.2022				

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1470/2022
शासन विरुद्ध कौशिल्या बाई व अन्य
प्रकरण संस्थित दिनांक 10.02.2023

फार्म– एफ
अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
01	निर्णय का शीर्षक	01
02	अधिवक्तागण की उपस्थिति	01
03	आरोप	04
04	स्वीकृत तथ्य	04
05	अभियोजन कहानी	04–05
06	––	–
07	––	–
08	सकारण निष्कर्ष	06–19
09	दण्डादेश	20
10	अभिरक्षा अवधि	20
11	संपत्ति का निराकरण	21
12	प्रतिकर का आदेश	–
13	धारा 428 दं०प्र०सं० का प्रमाण पत्र	22
14	सजा वारंट	–
15	निर्णय की प्रति	–

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1470/2022
शासन विरुद्ध कौशिल्या बाई व अन्य
प्रकरण संस्थित दिनांक 10.02.2023

–:: निर्णय ::–
(आज दिनांक 11.07.2025 को घोषित)

---

(01) आरोपीगण के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 294, 506 भाग–दो एवं 427 के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.10.2022 के समय लगभग 17:00 बजे स्थान ग्राम सकोला थाना पेण्ड्रा जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०) क्षेत्रान्तर्गत में प्रार्थिया गीतांजली को लोक स्थान में माँ–बहन की अश्लील गाली देकर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, उसको संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा प्रार्थिया गीतांजली के नींव बीम को तोड–फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर रिष्टी कारित किया।

(02) प्रकरण में स्वीकृत तथ्य नहीं है।

(03) अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.10.2022 को प्रार्थिया गीतांजली के द्वारा थाना में आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि, उसका ग्राम सकोला स्थित भूमि खसरा नं० 43/1 रकबा 21 डिसमिल, खसरा नं० 48/1 रकबा 52 डिसमिल भूमि उसके ससुर सहदेव मरावी के नाम पर दर्ज है तथा उक्त भूमि पर घर बनाने का काम शुरू हो गया है, जिस पर आरोपीगण द्वारा प्रार्थिया की उक्त जमीन पर जबरन कब्जा करने की नियत से गंदी–गंदी गाली गलौज एवं लड़ाई झगड़ा मारपीट

कर व जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है और निर्माण नीव के कालम को बर्बाद कर रहे हैं और लोहे की रॉड की छड़ को भी तोड रहे है, जिससे वह बहुत परेशान हो गयी है एवं उसे नुकसान हुआ है। प्रार्थिया की शिकायत पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तथा नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर छोड़ा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294, 506, 427, 34 भा०द०वि० का अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

(04) आरोपीगण से आरोपित अपराध के संबंध में पूछे जाने पर उन्होने अपराध किये जाने से इंकार किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना एवं प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं अपने बचाव कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

(05) **विचारणीय प्रश्न यह है कि–**

(01) क्या, आरोपीगण ने दिनांक 11.10.2022 के समय

लगभग 17:00 बजे स्थान ग्राम सकोला थाना पेण्ड्रा जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०) क्षेत्रान्तर्गत में प्रार्थिया गीतांजली को लोक स्थान में माँ–बहन की अश्लील गाली देकर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

(02) क्या, आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान में प्रार्थिया गीतांजली को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

(03) क्या, आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान में प्रार्थिया गीतांजली के नींव बीम को तोड–फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर रिष्टी कारित किया?

–:: विचारणीय बिन्दु क्र० 03 सकारण निष्कर्ष ::–

(06) प्रार्थिया अ०सा० 01 गीतांजली ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है । घटना दिनांक 11.10.2022 की है। घटना दिनांक को उसके ससुर हसदेव सिंह मरावी के नाम की भूमि पर मकान निर्माण हेतु नीव खोदकर बीम डाल दिये थे। तीनो आरोपीगण एक मत होकर मिलकर वहां आयी और डाले गये बीम को हिलाने लगी। जब उसने बीम तोड़ने से मना की तो तीनो उसे बहुत गंदा गंदा गालियां दिये और बोले यदि तुम यहां से नहीं

जाओगी तो तुम्हे जान से मार देंगे। उसके मना करने के बाद भी आरोपीगण मिलकर दो बीम उखाड दिये और शेष दो बीम भी जोर जोर से हिलाये। उक्त घटना शाम लगभग 5:30 बजे की है। आरोपीगण के तोडफोड करने से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उक्त घटना की लिखित रिपोर्ट उसने चौकी कोटमीकला में दी थी, जो प्र०पी०–1 है । उसकी लिखित रिपोर्ट के आधार पर चौकी कोटमीकला में प्रकरण दर्ज किया गया जो प्र०पी०–2 है। पुलिस वाले मौके पर नहीं आये थे नजरी नक्शा प्र०पी०–3 है। पुलिस वाले पूछताछ कर उसका बयान लिये थे । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि आरोपीगण मकान बनाने को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किये थे । साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपीगण उसे गाली गलौज एवं धमकी नहीं दिये थे ।

(07) अ०सा० 02 मनोज कुमार मरावी ने कथन किया है कि आरोपीगण को जानता है। आरोपिया कौशिल्या बाई एवं चंदा बाई उसकी चाची हैं एवं आरोपिया मीना बाई उसकी भाभी हैं। प्रार्थिया गीतांजली उसकी भाभी हैं। घटना दिनांक 11.10.2022 दिन मंगलवार समय लगभग शाम 5 बजे की है। वह घटना दिनांक को अपने पडोसी चाचा मोहन सिंह मरावी के यहां बोर का पंप बंद करने के लिये गया था। जब वह पंप बंद करके घर वापस आ रहा था तो घर के पास से प्रार्थिया एवं आरोपिया के मध्य हो रही लडाई

की आवाज आ रही थी। जब वह आवाज सुनकर मौके गया तो देखा कि आरोपीगण उसके निर्माणाधीन घर के बीम को तोड रहे थे जिसे रोकने के लिए उसकी भाभी गीतांजली गयी थीं। जब प्रार्थिया आरोपीगण को तोड फोड करने से मना कर रही थी तब आरोपीगण एक राय होकर मेरी भाभी गीतांजली को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आरोपीगण के द्वारा अपने हाथ में डण्डा लिये हुए उसकी भाभी गीतांजली डरके वहां से घर चली गयी थी। घटना दिनांक को अंधेरा हो जाने के कारण उसकी भाभी गीतांजली दूसरे दिन चौकी कोटमी जाकर घटना का लिखित में शिकायत दर्ज करायी । पुलिस वालों ने निर्माणाधीन मकान के बीम में हुये तोड फोड के नुकसान के संबंध में लिखा पढी की कार्यवाही थाने पर किये थे। नुकसानी पंचनामा प्र०पी०–04 है। आरोपीगण के द्वारा मौके पर उसे एवं उसके पिता सहदेव सिंहमरावी को भी जान से मारने की धमकी देते हुए, उसके पिता को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिये । पुलिस वाले घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ किये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया कि निर्माणाधीन मकान अभियुक्तगण बनवा रहे थे । साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया कि निर्माणाधीन मकान के बीम को आरोपीगण द्वारा तोड़फोड़, नुकसान नहीं किया गया है ।

(08) अ०सा० 03 सहदेव सिंह मरावी ने कथन किया है कि वह

आरोपी कौशिल्या बाई, मीना बाई तथा चंदाबाई को जानता है। वह उसकी बहू, भांजी एवं बहू है। प्रार्थिया गीतांजली उसकी बहू है। उसके नाम पर ग्राम सकोला में खसरा नंबर 81/1 है रकबा 21 डिसमिल है। जिस पर वह मकान निर्माण का कार्य करा रहा था। उसका ग्राम सकोला में ही खसरा नंबर 43/1 एवं 48/1 कुल रकबा 3 एकड़ 42 डिसमिल खेत है। जिस पर वे खेतीबाड़ी करते हैं। उक्त जमीन को लेकर उसका तथा दीना उर्फ दीनदयाल से विवाद था। वह अपने ग्राम सकोला स्थित खसरा नंबर 81/1 की जमीन पर मकान का निर्माण करवा रहा था। घटना के दिन में अपने स्कूल में था। शाम लगभग 04.00 बजे मेरी बहू गीतांजली ने फोन करके मुझे सूचना दिया कि आरोपीगण मिलकर उसके साथ लडाई झगडा तथा गाली गलौच कर रहे हैं एवं निर्माणाधीन भवन में लगे लोहे के बीम्ब को तोड़ रहे हैं। सूचना के उपरांत तुरन्त मौके पर पहुंचा। जब वह मौके पर पहुंचा तो आरोपीगण वहां उपस्थित थे और मेरे निर्माणाधीन भवन के बीम्ब को तोड़ रहे थे। तब उसने उनको मकान तोड़ने से मना किया, तब आरोपीगण उसके साथ गाली गलौच करते हुए लड़ाई झगड़ा करने लगा। आरोपिया मीना बाई अपने पास लोहे का राड रखी थी तथा उसी राड से मुझे मारने के लिए दौड़ाई। आरोपीगण के द्वारा उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। आरोपीगण के ने निर्माणाधीन मकान के बीम्ब को तोडफोड किये जाने से उसे नुकसान कारित हुआ। पुलिस

वालों ने उसके मकान के नुकसान के संबंध में लिखापढ़ी की कार्यवाही कर पंचनामा तैयार किये जो प्र०पी०–04 है। पुलिस घटना के संबंध में उससे पूछताछ किये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि इस जमीन के संबंध में कोर्ट में सिविल केस चल रहा था एवं हाई कोर्ट में भी केस चला था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उपरोक्त भूमि पर सभी खातादारों का हिस्सा है।

(09) अ०सा० 04 विकास सिंह ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। प्रार्थीया गीताजंलि को भी पहचानता है। घटना लगभग दो–तीन साल पूर्व मंगलवार के दिन के हैं। वह प्रार्थीया के ससुर सहदेव के घर खेती–किसानी के काम घटना के दौरान करता था। वह अपनी मजदूरी के सप्ताहिक पैसे की मांग करने के लिए सहदेव के पास फोन किया तब उसने बोला कि वह कोटमी पेट्रोल पम्प के पास स्थित घर पर है। तब वह सहदेव के यहां अपने पैसे लेने के लिए गया। जब सहदेव के घर के पर पहुंचा तो वहीं पर आरोपिया चन्दा बाई, मीना बाई व कौशिल्या बाई उपस्थित थे। उक्त आरोपीगण सहदेव को मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां दे रहे थे तथा सहदेव को जान से मारने घमकी दे रहे थे। आरोपीगण सहदेव के मकान के कालम को तोड़–फोड़ करके रोड के किनारे रख दिये। इसके बाद उसने सहदेव से अपना पैसा लिया और बाजार चल दिया। पुलिस वालों ने घटना के संबंध उससे

पूछताछ कर उसका बयान लिये । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने कोई घटना नहीं देखा है ।

(10) अ०सा० 05 सुखदेव विश्वकर्मा ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। प्रार्थीया गीताजंलि को भी पहचानता है । घटना वर्ष 2022 की है। वह गीतांजली के घर को बनाने का ठेका लिया था। घटना के दिन वह गीतांजली के घर का निर्माण का काम करा रहा था। घटना दिनांक तक गीतांजली के मकान का कॉलम लगभग सात फीट तक उठ गया था। लगभग 4-4.30 बजे सभी आरोपीगण गीतांजली के निर्माणधीन मकान के पास आये और उसे तोड़-फोड़कर नुकसान पहुंचाये। बाद मे उसे यह भी जानकारी हुई की आरोपीगण प्रार्थिया के साथ वाद-विवाद व लड़ाई-झगड़ा किये । आरोपीगण को उसने घटना दिनांक को ही मौके पर देखा था इसलिए पहचानता है। पुलिसवालों ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ किये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया उसने पुलिस वालों के समक्ष गीतांजली के घर को बनाने के लिये ठेका लिया था, उसका कोई कागज पेश नहीं किया, वह नहीं बता सकता कि उपरोक्त भूमि पर अभियुक्तगण का हिस्सा है । साक्षी ने अस्वीकार किया कि आरोपीगण के द्वारा गीतांजली के निर्माणाधीन मकान में तोड़फोड़ नहीं किये थे ।

(11) अ०सा० 06 भूपत सिंह ने कथन किया है कि वह आरोपीगण

को चेहरे से पहचानता है। प्रार्थीया गीताजंलि को भी पहचानता है । घटना वर्ष 2022 की है। वह राज–मिस्त्री हूं। घटना के समय ठेकेदार सुखदेव के साथ ग्राम सकोला के सहदेव सिंह के घर ग्राम सेकवा में उसके निर्माणाधीन मकान में राज–मिस्त्री के काम कर रहा था। घटना दिनांक को प्रार्थिया के मकान का कॉलम लगभग सात फीट उठ गया था । शाम लगभग 3 से 4 बजे की बीच आरोपीगण मौके पर आये और गीतांजली के मकान में उठे कॉलम को तोड फोड करके नुकसान कर दिये । आरोपीगण का प्रार्थिया से वाद विवाद भी हुआ । पुलिस वाले ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ किये थे । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया कि गीतांजली के मकान के कॉलम को आरोपीगण के द्वारा तोड़फोड़ नहीं किया गया था ।

(12) अ०सा० 08 तरकेश्वर सिंह ध्रुवे ने कथन किया है कि वह दिनांक 08.06.2022 को प०ह०पं० 06 रा०नि०मं० सकोला पटवारी के पर पद पदस्थ था । न्यायालय तहसीलदार सकोला के ज्ञापन दिनांक 08.06.2022 के परिपालन में मौके पर जाकर स्थल जांच किया और पाया कि भूमि खसरा नंबर 43/1, 48/1 कुल रकबा 0.295 हे० भूमि पर वर्तमान में आवेदक सहदेव सिंह पिता रामाधीन का कब्जा है, जिस भूमि पर अनावेदक के द्वारा गृह निर्माण का कार्य चल रहा है, उक्त के संबंध में स्थल पंचनामा गवाहें के समक्ष तैयार किया तथा तहसीलदार सकोला को प्रतिवेदन भेजा ।

स्थल पंचनामा प्र०पी० 08 एवं प्रतिवेदन प्र०पी० 09 है ।

(13) अ०सा० 07 चंदन सिंह ने कथन किया है कि वह दिनांक 12.10.2022 को पुलिस चौकी कोटमी थाना पेण्ड्रा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थिया गीतांजली मरावी की लिखित सूचना प्र०पी० 01 की प्राप्ति पर लिखित सूचना के आधार पर आरोपीगण मीनाबाई, कौशिल्या बाई एवं चंदा बाई के विरूद्ध अपराध क्र० 0/22 धारा294, 506, 427, 34 भा०दं०वि० के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया, जो प्र०पी० 02 है। उक्त अपराध का थाना पेण्ड्रा में नंबरी अपराध थाना पेण्ड्रा निरीक्षक आर०एल० डहरिया के द्वारा किया गया। विवेचना के दौरान उसने प्रार्थिया के बताये अनुसार घटनास्थल जाकर मौका नक्शा तैयार किया गया जो प्र०पी० 03 है। प्रार्थिया गीतांजली मरावी के निर्माणाधीन मकान के नीव बींब की तोड़फोड़ करने से हुये नुकसान के संबंध में नुकसानी पंचनामा ग्राम सकोला में गवाहों के समक्ष तैयार किया जो प्र०पी० 04 है। प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपीगण को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जो प्र०पी० 05, 06 व 07 है। उसने प्रकरण में विवादित भूमि/मकान के राजस्व दस्तावेज खसरा पांचशाला की छायाप्रति, किस्तबंदी खतौनी की छायाप्रति, पटवारी प्रतिवेदन,

राजस्व आदेश की छायाप्रति, तहसील कार्यालय का स्थगन आदेश को प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।

(14) साक्ष्य विवेचना में दर्शित है कि अ०सा० 01 प्रार्थिया/आहता गीतांजली ने अपने परीक्षण के दौरान स्पष्ट कथन किया है कि घटना दिनांक 11.10.2022 को ससुर हसदेव सिंह के नाम की भूमि पर मकान निर्माण हेतु नीव खोदकर बीम डाल दिये थे, तीनों आरोपीगण एक मत होकर डाले गये बीम को हिलाने लगे, जब उसने बीम तोड़ने से मना किया तो तीनों उसे बहुत गंदा–गंदा गालियां दी और बोली कि यदि तुम यहां से नहीं जाओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, आरोपीगण ने मिलकर दो बीम उखाड़ दिये और दो शेष बीम को जोर–जोर से हिलाया, घटना लगभग 05.30 बजे की है, आरोपीगण के द्वारा तोड़फोड़ करने से उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है । लिखित शिकायत प्र०पी० 01 के परिशीलन से भी दर्शित है कि अ०सा० 01 प्रार्थिया ने लिखित शिकायत में भी उल्लेख किया था कि उसके ससुर सहदेव के नाम की भूमि पर घर बनाने के लिये काम शुरू किया था, तभी आरोपीगण द्वारा उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से गंदी–गंदी गाली गलौज, लड़ाई–झगड़ा, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, यहां से चले जाओ नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, ऐसा कहते हुए उक्त

निर्माण नींव कॉलम को बर्बाद कर रहे हैं और लोहे की रॉड/छड़ को भी तोड़ रहे हैं, काफी नुकसान हुआ है । इस प्रकार लिखित शिकायत प्र०पी० 01 से भी उक्त साक्षी के कथन की पुष्टि होती है । अ०सा० 02 मनोज कुमार मरावी ने भी अपने न्यायालयीन कथन में घटना दिनांक 11.10.2022 दिन मंगलवार समय लगभग 05.00 बजे की होने तथा आरोपीगण उसके निर्माणधीन घर के बीम को तोड़ रहे थे, जिसे रोकने के लिये उसकी भाभी गीतांजली गयी थी, का कथन किया है । अ०सा० 03 सहदेव सिंह मरावी का भी कथन है कि वह अपने ग्राम सकोला स्थित खसरा नं० 81/1 की जमीन पर मकान निर्माण करवा रहा था, घटना समय वह स्कूल में था, उसकी बहु गीतांजली के द्वारा सूचना देने पर वह तुरंत मौके पर पहुंचा, तब आरोपीगण उपस्थित थे और निर्माणधीन भवन के बीम को तोड़ रहे थे, तब उसने तोड़ने से मना किया, तब आरोपीगण उसके साथ गाली गलौज करते हुए लड़ाई–झगड़ा करने लगे, आरोपीगण के द्वारा उसके निर्माणधीन मकान के बीम को तोड़–फोड़ कारित करने से उसको नुकसान हुआ है । अ०सा० 04 विकास सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपीगण सहदेव के मकान के कॉलम को तोड़फोड़ कर के रोड किनारे रख दिये थे । यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में विरोधाभाषी सुझाव को स्वीकार किया है कि वह घटना को नहीं देखा है । अ०सा० 05 सुखदेव विश्वकर्मा एवं अ०सा० 06 भूपत सिंह जो कि दोनों राजमिस्त्री हैं, उक्त

साक्षीगण घटना के बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना प्रतीत होता है । अ०सा० 05 एवं अ०सा० 06 ने गीतांजली/सहदेव के घर का निर्माण कार्य करने का तथा मकान का कॉलम 7 फीट तक उठा देने का, आरोपीगण मौके पर आने और कॉलम को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाये जाने का स्पष्ट कथन किया है । उक्त दोनों साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई भी विरोधाभाष तथ्य उत्पन्न नहीं हुआ जिससे उनका मुख्य परीक्षण अविश्वसनीय हो जाये । उक्त दोनों साक्षियों के कथन से आरोपीगण द्वारा प्रार्थिया के निर्माणाधीन मकान का कॉलम को छतिग्रस्त/नुकसान करने के संबंध में अभियोजन कहानी को समर्थन प्राप्त होता है ।

(15) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपीगण और प्रार्थी/आहतगण के मध्य जमीनी वाद विवाद है । आरोपीगण को रंजिसवश झूठा फंसाया गया है । विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क को बल इसलिये प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि रंजिस दो धारी तलवार है, जो एक तरफ रंजिस में झूठा फंसाये जाने की संभावना प्रकट करती है और दूसरी तरफ अपराध किये जाने को प्रोत्साहित करती है । अ०सा० 01, 02, 03 यद्यपि एक ही परिवार के सदस्य होना दर्शित है, किंतु अ०सा० 05, 06 राजमिस्त्री होने से घटना के महत्वपूर्ण एवं स्वतंत्र साक्षी होना दर्शित होता है । उनका प्रतिपरीक्षण भी अखण्डनीय है । अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य/वस्तु उपलब्ध नहीं है, जिससे

यह दर्शित हो सके कि अ०सा० 05 व 06 किन्हीं तथ्यों से प्रभावित होकर झूठा कथन कर रहे हैं । अ०सा० 07 चंदन सिंह सहायक उपनिरीक्षक ने प्रार्थिया गीतांजली की लिखित शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 02 लेखबद्ध किये जाने का कथन कर शिकायत प्र०पी० 01 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 02 को प्रमाणित किया है । उक्त साक्षी ने नुकसानी पंचनामा प्र०पी० 04 एवं राजस्व दस्तावेजों को प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया है । अतः अ०सा० 01 से 03 एवं 05, 06 ने विचारणीय बिंदु क्र० 03 के संबंध में अभियोजन का समर्थन किया है । उक्त साक्षीगण के न्यायालयीन कथन से एक दूसरे के कथन की पुष्टि होती है । साक्षीगण के कथन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण अभिलेख में प्रकट नहीं हुआ है।

(16) संपूर्ण साक्ष्य विवेचना उपरांत दर्शित है कि अभियोजन पक्ष विचारणीय बिंदु क्र० 03 को आरोपीगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिया को नुकसान कारित करने के आशय से उसके निर्माणाधीन मकान के कॉलम को क्षतिग्रस्त कर रिष्टि कारित की है ।

–:विचारणीय बिन्दु क्र० 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्षः–

(17) विचारणीय बिन्दु क्र० 01 व 02 के संबंध में अ०सा० 01

प्रार्थिया/आहता गीतांजली ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण के द्वारा उसे गंदी–गंदी गाली दिया जाना तथा यदि तुम यहां से नहीं जओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, कहकर जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया है। अ०सा० 02 मनोज कुमार मरावी ने आरोपीगण के द्वारा उसकी भाभी/प्रार्थिया गीतांजली को मां बहन की गंदी–गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया है। अ०सा० 03 सहदेव सिंह मरावी ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपीगण के द्वारा उसके साथ गाली गलौज किये जाने तथा उसको जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया है। अ०स० 04 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण के द्वारा सहदेव को मां बहन की गंदी–गंदी गालियां दिये जाने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया है, किंतु प्रतिपरीक्षण में साक्ष्य स्थिर नहीं रहा है। अ०सा० 05 सहदेव विश्वकर्मा, अ०स० 06 भूपत सिंह के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अ०स० 01 से 03 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण के द्वारा गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किया गया है, किंतु उक्त साक्षियों ने आरोपीगण द्वारा उच्चारित शब्दों का खुलासा नहीं किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपीगण द्वारा उच्चारित शब्द अश्लीलता के श्रेणी में थे या नहीं। प्रकरण के किसी भी साक्षी ने आरोपीगण के द्वारा दी गयी गालियों को सुनकर उन्हें

क्षोभ कारित हुआ था, के संबंध में कोई कथन नहीं किया है । आरोपीगण ने आहत को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी थी अथवा उसके परिणामस्वरूप आहत को आपराधिक अभित्रास कारित हो गया था, के संबंध में कोई साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ है । इस प्रकार विचारणीय बिन्दु क्र० 01 व 02 के संबंध में अभिलेख पर आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त एवं युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु क्र० 01 व 02 को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

(18) आरोपीगण कौशिल्या बाई, मीनाबाई, चंदाबाई को अधिरोपित अपराध धारा 427 भा०दं०सं० के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, दोषिसिद्ध घोषित किया जाता है, अपराध धारा 294, 506 भाग–दो भा०दं०सं० के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

(19) अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय अस्थायी रुप से स्थगित किया जाता है ।

MAHESH BABU SAHU Digitally signed by MAHESH BABU SAHU

दिनांकः–11.07.2025
स्थानः- पेण्ड्रारोड

(महेश बाबू साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेण्ड्रारोड
राजस्व जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ०ग०

पुनश्चः–

(20) दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण का कहना है कि वह प्रायः प्रत्येक पेशी तिथियों पर उपास्थित होते रही हैं। अतः उन्हें कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया। अभियोजन के द्वारा आरोपीगण को अधिक से अधिक दण्ड देने का निवेदन किया।

(21) अभिलेख के अवलोकन से आरोपीगण के आदतन अपराधी होने अथवा पूर्व दोषसिद्ध विषयक कोई तथ्य विद्यमान नहीं है। आरोपीगण महिलाएं हैं, जो अधिक्तर पेशी तिथियों में उपस्थित रही हैं। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, **आरोपीगण को सिद्धदोष अपराध धारा 427 भा०दं०सं० के आरोप में 2000–2000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।** अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर उन्हें 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

(22) आरोपीगण की ओर से पूर्व में निष्पादित जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–ए के तहत प्रस्तुत मुचलका 06 माह तक प्रवृत्त रहेंगे।

(23) आरोपीगण की अभिरक्षा अवधि के संबंध में धारा 428 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभिरक्षा प्रमाण पत्र तैयार किया जावें, जो निर्णय का भाग होगा ।

(24) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है ।

स्थानः– पेण्ड्रारोड, (छ०ग०)

दिनांकः–11.07.2025

निर्णय हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया ।

MAHESH BABU SAHU Digitally signed by MAHESH BABU SAHU

(महेश बाबू साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेण्ड्रारोड
राजस्व जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ०ग०

मेरे निर्देश पर टंकित ।

MAHESH BABU SAHU Digitally signed by MAHESH BABU SAHU

(महेश बाबू साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेण्ड्रारोड
राजस्व जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ०ग०

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1470/2022
शासन विरुद्ध कौशिल्या बाई व अन्य
प्रकरण संस्थित दिनांक 10.02.2023

न्यायालयः— महेश बाबू साहू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेण्ड्रारोड राजस्व जिला—गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही (छ०ग०)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1470/2022
प्रकरण संस्थित दिनांक 10.02.2023
अपराध क्रमांक 385/2022
आरक्षी केन्द्र पेण्ड्रा

धारा 428 द.प्र.सं. के तहत निर्मित अभिरक्षा तालिका

क्र	आरोपी का नाम	पुलिस अभिरक्षा अवधि	न्यायिक अभिरक्षा अवधि	समायोजित अवधि
1	कौशिल्या बाई	निरंक	निरंक	निरंक
2	मीनाबाई	निरंक	निरंक	निरंक
3	चंदाबाई	निरंक	निरंक	निरंक

MAHESH BABU SAHU
Digitally signed by MAHESH BABU SAHU

(महेश बाबू साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेण्ड्रारोड
राजस्व जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ०ग०